न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63 / 24 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या : 156 / 18

1. श्री देवीलाल पिता स्व. भूरा जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कॉलोनी, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्री सूरजमल पिता स्व. भूरा जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर जरिये मुख्तयार खास मुकेश पिता अश्विनी कुमार पारिक निवासी केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द
3. श्रीमती राधा पिता स्व. भूरा जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर जरिये मुख्तयार खास मुकेश पिता अश्विनी कुमार पारिक निवासी केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द
4. मु. राजीबाई बेवा स्व. भूरा जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर जरिये मुख्तयार खास श्री देवीलाल पिता स्व. भूरा जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कॉलोनी, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता स्व. धुला जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
2. श्रीमती वनीबाई पिता स्व. धुला जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
3. मु. रोडीबाई बेवा स्व. धुला जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
4. श्री देवीलाल पिता स्व. डालु जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
5. श्री भँवरलाल पिता स्व. डालु जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
6. श्रीमती माँगी पिता स्व. डालु जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
7. श्रीमती वरदी पिता स्व. डालु जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
8. श्रीमती धापु पिता स्व. डालु जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
9. श्रीमती रूकमणी पिता स्व. डालू जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
10. श्रीमती वरदी पिता स्व. डालू जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:15 IST
Reason: SelfAttested

11. श्री प्रकाश पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
12. श्री हरीलाल पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
13. श्री दुदाराम पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
14. श्रीमती जमनाबाई पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी–आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
15. श्रीमती नवली पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
16. श्रीमती नारायणी पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
17. श्रीमती प्यारीबाई पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
18. श्रीमती गोपीबाई पिता स्व. गणेश जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
19. श्री गुलाब पिता स्व. गंगाराम जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
20. श्री हिरालाल पिता स्व. गंगाराम जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
21. श्री शान्तिलाल पिता स्व. गंगाराम जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
22. श्री बाबुलाल पिता स्व. गंगाराम जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
23. श्रीमती नारायणीबाई पिता स्व. गंगाराम जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
24. श्रीमती मगनीबाई पिता स्व. गंगाराम जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
25. श्री रामलाल पिता स्व. रूपा जी बाबरी आयु वयस्क निवासी– आवरीमाता कच्ची बस्ती, उदयपुर
26. श्री कमल पिता जगदीश जी धोबी आयु वयस्क निवासी– श्रीनाथ जी की हवेली, उदयपुर
27. श्री लालजी पिता कोदर जी मेघवाल आयु–वयस्क निवासी– हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर–11, उदयपुर
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर

निर्णय

दिनांक : 13.5.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है राजस्व मौजा सवीनाखेडा, पटवार क्षेत्र सवीनाखेडा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, [illegible] 27, 28, 29, 31, 32, 33 कुल किता 15 कुल 2.1450 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। [illegible] भूमि पर वादीगण अपने 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:15 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 27 भी अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन नही होने की वजह से वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 से 27 के मध्य आए दिन उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामिल शरिक होने की वजह से भूमि के लगान जमा कराये जाने में भी वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अनबन होती रहती है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि यदि भूमि का कानुनी बटवारा हो जाता है तो हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जावेगा, लेकिन प्रतिवादीगण भूमि के विभाजन किये जाने में रूचि नही ले रहे । वादीगण ने हाल ही में राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात आया है कि प्रतिवादी संख्या–11 से 25 के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या – 26 व 27 का नाम दर्ज हो गया है। यदि प्रतिवादी संख्या – 11 से 25 ने उनका हिस्सा प्रतिवादी संख्या–26 व 27 को हस्तान्तरित कर दिया है तो इसकी जानकारी वादीगण को नही है। इसलिए दोनो को ही प्रकरण में पक्षकार बना दिया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विधिक विभाजन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या – 1 से 10, 26 व 27 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विधिक विभाजन कराया जाकर राजस्व रेकर्ड में सभी का नाम अलग–अलग अंकित कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 26 व 27 द्वारा जवाब मय काउण्र क्लेम प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वर्णित जमीन के वादीगण के पिता भुरा सहित 6 हिस्सेदार होकर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा था। पांच व्यक्तियों ने अपने 1/6 हिस्से का विक्रय इकरार प्रतिवादी संख्या 26 व 27 के पक्ष में किया तथा भूरा के 1/6 हिस्से का इकरार उसके पुत्र देवीलाल व पत्नी श्रीमती राजी बाई ने किया इन लोगों द्वारा इकरार ही पालना नहीं करने पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा इकरार की विशिष्ठ पालना का वाद न्यायालय में प्रस्तुत जिसका निर्णय दिनांक 08–04–1999 को होकर सभी वाद डिक्री किये गये और सभी के हिस्से की जमीन के सन्दर्भ में न्यायालय संख्या–26 व 27 के द्वारा प्रतिवादी पक्ष में पंजीयन कराया गया उसी पंजीयन के आधार पर जमीन खाते हुई और न्यायालय द्वारा ही कब्जा दिलाया गया। । प्रतिवादी संख्या 1 से 25 भी न तो रेकर्डेड टिनेन्ट है, न उनका जमीन पर कब्ज़ा है और यह बात जानबूझकर न्यायालय से छिपाई है सूरज व राधा इकरार की पालना के बाद में कभी भी पक्षकार नहीं बने, न उस डिक्री को आज तक चेलेन्ज किया । वादी संख्या 1 व 4 उक्त डिक्री में पक्षकार है लेकिन इस तथ्य को भी न्यायालय से छिपाया गया है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 25 का एक दिन जमीन पर कब्जा नहीं था, न आज है । वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 से 25 का कब्जा ही नहीं है, न जमीन उनके खाते है, 1/12 हिस्से को छोड़कर सारी जमीन प्रतिवादी संख्या 26 व 27 के नाम पर दर्ज है और न्यायालय ने ही उनको कब्जा दिलाया है। वादी संख्या – 2 व 3 ने इसका नाजायज फायदा उठाकर 1/12 हिस्सा अपने नाम अंकित करवा लिया जबकि मौके पर उनका कब्जा नहीं है । अतः प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर बाद डिक्री कराया [illegible] जमीन में 1/12 हिस्सा जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (वाद में वादी संख्या 1 व 2)दर्ज हो गया है, का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर यह जमीन वादीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज कराई जायें ।

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहे। प्रकरण में पत्रावली एवम् वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मत है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खातेदार नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने राजस्व रेकार्ड में अंकन भूमि का अन्य किसी नये पक्षकारों दिनेश सालवी पुत्र अम्बालाल सालवी हिस्सा 11/12 व राकेश राठौड़ पुत्र गोवर्धन लाल राठौड़ हिस्सा 1/12 बेचान किया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में या दस्तावेजों के माध्यम से इस बात का अंकन नहीं किया गया है कि उनका वादग्रस्त आराजीयात में किस प्रकार से हिस्सा बनता है एवम् यदि वादीगण का किसी अन्य कारण से वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार निहित होता भी है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमयम की इस धारा के अन्तर्गत अनुतोष नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद पेश किया गया है, किन्तु राजस्व मौजा सवीनाखेडा, पटवार क्षेत्र सवीनाखेडा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 72 के कुल खसरे 15 कुल रकबा 2.1450 हैक्टयर भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदार नहीं है ना ही उनके द्वारा नये खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है एवम् प्रकरण में पैरवी हेतु भी आज दिनांक को उपस्थित नहीं रहे है। न्यायालय द्वारा रूक–रूक कर तीन बार आवज लगाई गई किन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वे विचारधीन प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है व प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् नये खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का चलने योग्य नहीं होनेके कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद प्रकरण संख्या 63/24 (पूर्व प्रकरण संख्या 156/18) खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:15 IST
Reason: SelfAttested